दिनांक 02.08.2022
प्रेस विज्ञप्ति 02/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

साइबर अपराध से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियाँ

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 स्तर से समय–समय पर पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही तथा आम जनमानस में जागरूकता लाये जाने हेतु कार्यशाला/प्रशिक्षण हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में साइबर मुख्यालय उ0प्र0 द्वारा लुभावने गिफ्ट एवं लॉटरी सम्बन्धी साइबर अपराध से बचने के लिए निम्न सुझाव दिये गये है।

लुभावने गिफ्ट एवं लॉटरी सम्बन्धी साइबर अपराध से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियाँ । क्या करें ,क्या न करें !

आज प्रत्येक व्यक्ति समाचार, सूचना आदि साझा करने के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफार्म का उपयोग सक्रिय रूप से करता है। कई इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स में से व्हाट्सएप एक बहुत ही लोकप्रिय प्लेटफार्म है। व्हाट्सएप पर आप किसी भी प्रकार का लिंक, कोई फाइल, वॉइस नोट कुछ भी शेयर कर सकते हैं। साइबर अपराधियों द्वारा अब व्हाट्सएप से पीडितों के मोबाइल में लिंक भेजा जा रहा है जिसका प्रयोग वायरस/मैलवेयर डाउनलोड करने के त्तिए या धोखाधड़ी के आशय से उनकी व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए किया जा रहा है। साइबर अपराधियों द्वारा वर्तमान में प्रयोग किये जा रहे ठगी के कुछ तरीके यहाँ बताए जा रहे हैं ।

<u>फेक गिफ्ट लिंक</u>

1. आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसिद्ध वेबसाइट जैसे– फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि के द्वारा खास उपलक्ष्य पर अपने ग्राहकों/आम जनमानस को उपहार दिये जाने का लिंक प्राप्त होता है।

2. आप उस लिंक को क्लिक करते हैं जो आपके ब्राउज़र पर खुलता है, ब्राउजर पर एक वेलकम संदेश मिलता है जिसमें बताया जाता है कि आप अमेजन या अन्य के खास उपभोक्ता या उपयोगकर्ता हैं, आज इस खास मौके पर आप आईफोन या अन्य कोई महंगा गिफ्ट जीत सकते हैं, आपके पास तीन चांस है।

3. उसके बाद नेक्स्ट' पर क्लिक करने पर आपको स्क्रीन पर कई बॉक्स दिखते हैं । इनमें क्लिक करने पर आपको गिफ्ट मिलेगा या नहीं इसका पता लगता है। इनकी ऐसी प्रोग्रामिंग की जाती है कि आपको दो बार क्लिक करने पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तीसरी बार क्लिक करने पर आपको आईफोन आदि जीतने की बधाई मिलती है। साथ ही यह गिफ्ट क्लेम आप तभी कर पाएंगे जब आप इस लिंक को अपने जानने वालों को व्हाट्सएप या अन्य किसी माध्यम से शेयर करते हैं।

4. इस तरह के लिंक के माध्यम से सिर्फ आपका अत्यंत संवेदनशील डेटा चोरी किया जाता है, जिसे स्कैमर्स इकट्ठा कर डार्क वेब पर बेचते हैं, जो आपके विरुद्ध ठगी करने मे भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है।

इस तरह के लिंक लोग बिना सही जानकारी किये आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं, जिससे और लोग भी इस जाल में फंसते रहते हैं ।

<u>फेक लॉटरी फ्रॉड</u>

साइबर ठगों द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से एक संदेश प्रसारित किया जाता है कि आपकी 25 लाख की लाटरी लगी है, आपको इस लाटरी का पैसा लेने के लिए कुछ प्रतिशत टैक्स देना होगा। अब रकम इतनी बड़ी होती है कि कई लोग इनके जाल में फंस जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। इस तरह के फ्रॉड में अधिकतर +92 से शुरू होने वाले नंबर होते हैं। इसके साथ ही +1, +44 आदि से शुरू होने वाले नंबर से भी ठगी की जाती है।

<u>ऐसे साइबर अपराध से कैसे बचेः—</u>

1. सर्वमप्रथम व्हाट्सएप ही नही किसी भी माध्यम से प्राप्त अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें।

2. यदि आपने किसी प्रसिद्ध कंपनी का गिफ्ट लिंक ओपन कर लिया है तो यह अवश्य जांचे कि वह लिंक आपको उस कम्पनी की अधिकृत वेबसाइट पर ले गया है या फिर किसी मिलते जुलते नाम की वेबसाइट ओपन हुई है।

3. यदि आपको यह दिखता है कि यह लिंक अधिकृत वेबसाइट का नही है तो उस लिंक को अपने किसी भी ग्रुप या कॉन्टेक्ट को कदापि फारवर्ड न करें।

4. +91 के अलावा अन्य नम्बर से शुरू होने वाले जैसे +92, +1, +44 आदि अज्ञात नम्बर से प्राप्त हुये किसी भी लॉटरी वाले संदेश मे दिये गये नम्बर पर कॉल नहीं करना है, या उनके द्वारा बतायी गयी प्रक्रिया का अनुसरण नही करना है, अन्यथा आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो सकता है साथ ही आप ठगी का शिकार भी हो सकते हैं।

5. किसी भी प्रसिद्ध कम्पनी के गिफ्ट देने वाले लिंक की सत्यता उस कम्पनी की अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से किया जाना चाहिए। उस कंपनी की अधिकृत वेबसाइट पर ऐसा कोई अनाउंसमेंट है या नहीं इसकी जानकारी अवश्य करनी चाहिये।

जनपद कासगंज/थाना कोतवाली कासगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 15—15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 05 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 01/02.08..2022 को थाना कोतवाली कासगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नौरथा मोड पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—राकेश घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—रामवीर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 05 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली कासगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0—468/2022 धारा 395/506 भादवि में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15—15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कासगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राकेश निवासी ददवारी थाना बरला जनपद अलीगढ़।

2—रामवीर निवासी आलमपुर थाना सिकंदरा राव जनपद हाथरस।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 05 खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल।

जनपद मथुरा/थाना कोसीकलां

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 09 बंडल कापर तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 01.08..2022 को थाना कोसीकलां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कोटवन फैक्ट्री एरिया में मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त देव सिंह घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। कार्यवाही के दौरान एक आरक्षी घायल हो गये। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 09 बंडल कॉपर तार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना कोसीकलां क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोसीकलां पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद कॉपर तार उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोसीकलां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—देवसिंह निवासी गांव खामनी थाना हसनपुर जनपद पलवल, हरियाणा।

बरामदगी

1—चोरी के 09 बंडल कॉपर तार।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल।

जनपद एटा/थाना कोतवाली देहात

- **03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 12 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 01.08.2022 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कोतवाली क्षेत्र से चेकिंग के दौरान 03 शातिर वाहन चोर 1—अखिलेश 2—अजय कुमार उर्फ बब्लू 3—संजीव प्रकाश उर्फ टिन्कू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 12 मोटर साइकिल, आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अखिलेश के विरूद्ध जनपद एटा के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त अजय कुमार उर्फ बब्लू के विरूद्ध कई अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा भिन्न—भिन्न स्थानों वाहनों की चोरी कर उनका नम्बर प्लेट बदलकर ग्राहको को सस्ते दामों में बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अखिलेश निवासी नगला गोकुल थाना कोतवाली नगर जनपद एटा।

2—अजय कुमार उर्फ बब्लू निवासी बडौली थाना मिरहची जनपद एटा।

3—संजीव प्रकाश उर्फ टिन्कू निवासी असरौली थाना कोतवाली देहात जनपद एटा।

बरामदगी

1—चोरी की 12 मोटर साइकिल आदि।

जनपद हापुड़/थाना बाबूगढ़

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल**
- **चोरी की मोटर साइकिल के 02 इंजन/चेचिस**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 01.08.2022 की रात्रि थाना बाबूगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–मनवीर 2–प्रियांशू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल, चोरी की मोटर साइकिल के 02 इंजन/चेचिस, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मनवीर के विरूद्ध जनपद हापुड, गाजियाबाद व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग एवं अभियुक्त प्रियांशू के विरूद्ध जनपद हापुड, गाजियाबाद व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनवीर निवासी कुचेसर चौपला थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड।

2–प्रियांशू निवासी श्यामपुर ददायरा थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड।

बरामदगी

1–चोरी की 10 मोटर साइकिल।

2–चोरी की मोटर साइकिल के 02 इंजन/चेचिस।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस आदि।

जनपद सीतापुर/थाना सदरपुर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **09 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **02 नाल 12 बोर**
- **05 जीवित, 06 खोखा कारतूस 12 बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 02.08.2022 को थाना सदरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सुहेलिया के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्तों 1–सुमेरी 2–सन्त कुमार 3–बाबूराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 09 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 02 नाल 12 बोर, 05 जीवित, 06 खोखा कारतूस 12 बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त बाबूराम के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग एवं अभियुक्त सुमेरी के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सदरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुमेरी निवासी राजापुर सुहेला थाना सदरपुर जनपद सीतापुर।

2–सन्त कुमार निवासी अगेथुआ थाना सदरपुर जनपद सीतापुर।

3–बाबूराम निवासी शिवपुर देवरिया थाना सदरपुर जनपद सीतापुर।

<u>बरामदगी</u>

1–09 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–02 नाल 12 बोर।

3–05 जीवित, 06 खोखा कारतूस 12 बोर।

4–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

<u>जनपद वाराणसी ग्रामीम/थाना फूलपुर</u>

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल**
- **02 मोबाइल फोन, 02 बैट्री बरामद**

दिनांक 02.08.2022 को थाना फूलपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरही कला बॉर्डर के पास चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1–रविन्द्र कुमार 2–श्रवण कुमार उर्फ लल्ला 3–रोहित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल, 02 मोबाइल फोन, 02 बैट्री बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना फूलपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रविन्द्र कुमार निवासी बदऊआ थाना मडियाहूँ जनपद जौनपुर।

2–श्रवण कुमार उर्फ लल्ला निवासी सोईठा थाना मडियाहूँ जनपद जौनपुर।

3–रोहित निवासी जमलिया बुजुर्ग थाना मडियाहूँ जनपद जौनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 05 मोटर साइकिल।

2–02 मोबाइल फोन, 02 बैट्री।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना पिपरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना पिपरी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सन्तोष कुमार 2–गुड्डू को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना महमूदाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या–14 सीतापुर द्वारा थाना महमूदाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376–डी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–प्रदीप 2–शिवराम को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25–25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 05 सदस्य गिरफ्तार, 109.2 कि0ग्रा0 गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 22 लाख रूपये) बरामद।</u>

दिनांक 02–08–2022 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद आगरा पुलिस के साथ संयुक्त अभियान के दौरान अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 05 सदस्यों को जनपद आगरा से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 109.2 कि0ग्रा0 गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 22 लाख रूपये) बरामद करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1— चन्द्र मोहन पुत्र श्री गौपाल निवासी म0न0 146 सेक्टर 04 आवास विकास कालोनी, थाना सिकन्दरा, आगरा।

2— मलखान उर्फ चीकू पुत्र श्री नत्थी लाल निवासी वासरिसाल पुरा, थाना खंदौली, आगरा।

3— सत्यदेव उर्फ भगत सिंह पुत्र श्री राजवीर सिंह निवासी बांस रिसाल, थाना खंदौली, आगरा।

4— वीरेन्द्र पुत्र धर्मवीर निवासी ईसापुर, थाना गुलावटी, बुलन्दशहर।

5— विजेन्द्र पुत्र श्री नबाव सिंह नि0 कस्बा व थाना खंदौली, आगरा।

बरामदगीः

1— 109.2 कि0ग्रा0 गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 22 लाख रूपये)।

2— 01 अदद कैण्टर सं0 एच0आर0—38—ए0सी—07995

3— 01 अदद कार सं0 एच0आर0—51—ए0एच0—8422

4— 05 अदद मोबाइल फोन

5— रू0 3560/—नगद

6— 01 अदद वोटर आई0डी0 कार्ड

7— 01 अदद पैन कार्ड

8— 02 अदद आधार कार्ड

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनांक 02—08—2022, स्थानः—थाना मलपुरा, आगरा क्षेत्रान्तर्गत बाद पुल के नीचे, समयः प्रातः 03:50बजे

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों/तस्करों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की इकाइयों/ टीमों को

अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण मे ंपुलिस उपाधीक्षक श्री उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनाक 01–08–2022 को एसटीएफ आगरा के निरीक्षक श्री हुकुम सिंह, उ0नि0 श्री धूम सिंह, मु0आ0 रामनरेश, मु0आ0 दिनेश गौतम, आ0 बल्देव सिंह, आ0चा0 शिव कुमार की टीम पतारसी सुरागरसी व वांछित/ईनामी अपराधियो व सक्रिय गैंगो की गिरफ्तारी हेतु आगरा शहर मे भ्रमणशील थी तभी एस0टी0एफ0 मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के मु0आ0 विजेन्द्र राय व मु0आ0 निरज मिश्रा ने सम्पर्क कर अवगत कराया कि बाद पुल आगरा के नीचे मादक पदार्थ की तस्करी की सूचना मिल रही है। जल्दी की जाए तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर एसटीएफ की टीम स्थानीय पुलिस को साथ लेकर, बताये गये स्थान पर पहुँच कर 05 व्यक्तियों को कैण्टर व कार के साथ पकड़ लिया गया। तलाशी करने पर कैण्टर सं0 एचआर–38–ए0सी0–7995 तथा कार सं0 एच0आर0–51–ए0एच0–8422 मे से कुल 52 पैकेट मिले, जिसमें भरे सामान को पकड़े गये व्यक्तियों द्वारा मादक पदार्थ (गांजा) बताया गया। इन पैकेटो का वजन कराये जाने पर कुल माल का वजन 109.2 कि0ग्रा0 पाया गया, जिसके आधार पर इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि ये अवैध मादक पदार्थ (गांजा) के बण्डल है। वह यह गांजा कैण्टर सं0 एच0आर0 38 ए0सी0 7995 से उड़ीसा से लाकर, कार सं0 एच0आर0–51–ए0एच0–8422 मे अनलोड करके छोटी–छोटी मात्रा मे आगरा व आसपास के क्षेत्रो मे बेचते हैं। अभियुक्तो द्वारा गॉजा की सप्लाई, डिलेवरी आदि के सम्बन्ध में बताये गये अन्य तथ्यों की एस0टी0एफ0 द्वारा छानबीन की जा रही है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के विरूद्व थाना थाना मलपुरा, आगरा पर मु0अ0सं0 354/2022 धारा 18/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अर्न्तगत अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना मलपुरा आगरा द्वारा की जा रही है।

—————————